


**कार्यालय आदेश**

राजभाषा विभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 23.10.2019 के क्रम में राजभाषा विभाग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

- i) श्रीमती मंजुला सक्सेना, उप सचिव - पीठासीन अधिकारी
- ii) श्री इरफान अहमद खान, सहायक निदेशक - सदस्य
- iii) श्री प्रदीप सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी - सदस्य
- iv) श्रीमती साधना शर्मा, अनुभाग अधिकारी - सदस्या
- v) सुश्री बीना जैन - एनजीओ सदस्या

2. उक्त समिति ऊपर उद्धृत अधिनियम के प्रावधानों एवं उक्त विषय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।
3. उपर्युक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष होगा।
4. राजभाषा विभाग की पीड़ित महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के बारे में कोई भी शिकायत सीधे समिति की पीठासीन अधिकारी को भेजी जा सकती है।

  
(गोपी चंद्र छावनिया) 26/8/20  
निदेशक (प्रशासन)

सेवा में

1. सभी संबन्धित अधिकारीगण
2. सुश्री बीना जैन, विपुल बेलमोंटे(belmounte), टावर 8, फ्लैट सं. 1502, गोल्फ कोर्स रोड, सैक्टर-53, गुडगाँव - 122003 इस संबंध में यह सूचनार्थ है कि आपको प्रति बैठक 1400/- का यात्रा भत्ता के रूप में भुगतान किया जाएगा और एक महीने में अधिकतम 10 बैठक होंगी।

प्रतिलिपि:

- 1 सचिव(रा.भा.) के व.प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-॥ बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, नई दिल्ली
2. संयुक्त सचिव(रा.भा.) के प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-॥ बिल्डिंग, चौथी मंजिल, नई दिल्ली
3. एनआईसी सेल (रा.भा.) विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. निदेशक (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो)
5. निदेशक (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान)
6. सचिव (संसदीय राजभाषा समिति)
7. अवर सचिव, प्रशासन -V अनुभाग, गृह मंत्रालय, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, WW प्रभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1